

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :- 403(24) नवि/3/2003 पार

दिनांक :- 27.12.2004

परिपत्र

नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के नियमन एवं निजी आवासीय योजनाओं की स्वीकृति के मामलों में समयावधि में कार्यवाही नहीं होने के फलस्वरूप सरकार को हो रही राजस्व हानि एवं जनता को हो रही परेशानों के निराकरण के संबंध में दिनांक 9.4.04 का माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री को अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापक विचार विमर्श के बाद लिए गये निर्णयों के अनुसरण में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी के तहत नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में :- उक्त धारा 90-बी की उपधारा (4) के तहत नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की संक्षिप्त रूप से करके आदेश पारित करने की समयावधि 60 दिन निर्धारित है। नियमन हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त समयावधि का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जिसके फलस्वरूप भारी संख्या में नियमन के प्रार्थना पत्र लम्बित हो गये हैं। जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है तथा सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं :-

(अ) नियमन हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 31.3.05 तक अनिवार्य रूप से किया जावे।

(ब) नियमन हेतु अब प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि 60 दिन में करके पट्टों का निष्पादन किया जावे।

2. अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने के लिए निष्पादित पावर ऑफ अटार्नी पर स्टेम्प शुल्क लेने के संबंध में :- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2004 के द्वारा स्टेम्प अधिनियम में संशोधन करके अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाली पावर ऑफ अटार्नी पर निम्न दर से स्टेम्प शुल्क लेने का प्रावधान किया है :-

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> (1) पिता, माता, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, के पक्ष में निष्पादित होने पर (2) उक्त रिश्तेदारों के अलावा अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित होने पर | <p>2000/- रुपये</p> <p>पावर ऑफ अटार्नी में वर्णित सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू का 2 प्रतिशत</p> |
|---|---|

जयपुर विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों में सम्पादित विभिन्न कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत उपरोक्त पावर ऑफ अटार्नी पर निम्नानुसार दर स्टेम्प शुल्क की अदायगी सुनिश्चित करें तथा अपर्याप्त स्टाम्प युक्त पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करें।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना कठोरता से करें। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने या उपेक्षा करने की कार्यवाही को सरकार गम्भीरता से लेगी।

(143) (19/12/04)

शासन सचिव